स्मरण पत्र प्रथम

कार्यालय निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23(45)लेखा/निकाशि/मुउशिछायो/2013–14/ 1155 दिनांक 20/5/13

समस्त प्राचार्य,
राजकीय /निजी/तकनीकी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः– मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति बाबत।

वर्ष 2012 से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए एक नवीन छात्रवृति प्रारम्भ की गई है। यह योजना सत्र 2013–14 में भी जारी रहेगी। इस छात्रवृति के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु इस योजना का विवरण व शर्ते सत्र 2013–14 के लिए आपके महाविद्यालय से प्रकाशित की जाने वाली विवरणिका (प्रोस्पेक्टस) में आवश्यक रूप से सम्मिलित करवाएं। यह प्रथम व द्वितीय वर्ष के लिए जारी होने वाले प्रवेश प्रपत्रों/ प्रोस्पेक्टस के लिए विशेष है । इसके अतिरिक्त प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक अभ्यर्थी को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना का आवेदन प्रपत्र व इस छात्रवृति योजना की पात्रता शर्तों, देय छात्रवृति आदि का विवरण देने वाला एक पृष्ठ भी विवरणिका में प्रकाशित करवाएं अथवा छात्रवृति के आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध करवाएं इससे न सिर्फ योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार होगा वरन् अनेक ऐसे अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा भी मिलेगी जो धनाभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते है। पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृति के आवेदन पत्र भी प्रवेश शुल्क के साथ जमा कराने हेतु निर्देशित करें ताकि सभी पात्र विद्यार्थी योजना से लाभान्वित हो सके। ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया अपनाने वाले राजकीय महाविद्यालयों को प्रशिक्षण के साथ अलग से निर्देश जारी किये जा रहे हैं ।

आपके द्वारा प्रकाशित विवरणिका, योजना के विवरण आदि के लिए प्रकाशित सामग्री को सूचनार्थ निदेशालय कॉलेज शिक्षा को भी उपलब्ध करवाएं एवं संलग्न प्रारूप अनुरूप योजना का प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें ।

यह मा. मुख्यमंत्री महोदय की फ्लैगशिप योजना है। इसमें किसी प्रकार की कोताही न हो।

(नवीन जैन)
निदेशक

क्रमांक एफ 23(45)लेखा/निकाशि/मुउशिछायो/2013–14/ 1156 – 1161 दिनांक 20/5/13

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
2– निजी सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4– उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5– संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6– प्रभारी, वेबसाइट, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(आर. एस. मक्कड़)
अतिरिक्त निदेशक